न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2021 (2021/42)

प्रार्थी/निगरानीकर्ता :–

ग्राम पंचायत लूणावास खारा जरिये सरपंच श्रीमती भंवर कंवर पत्नी किशनसिंह ग्राम पंचायत लूणावास खारा पंचायत समिति धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुखाराम पुत्र धन्नाराम, जाति विश्नोई, निवासी ढाणा झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. किसनाराम पुत्र स्व0 घेवरराम, जाति हरिजन,
3. कानाराम पुत्र स्व0 घेवरराम, जाति हरिजन,
   निवासीगण – लूणावास खारा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. ग्राम विकास सचिव, ग्राम पंचायत खुडाला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 विरूद्ध पट्टा दिनांक 12.07.1974 जो ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरिजन, निवासी लूणावास खारा के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व गजेन्द्र सिंह (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा (अप्रार्थी संख्या 01 से 03)।

आदेश दिनांक :–01.02.2023

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 पट्टा दिनांक 12.07.1974 जो ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरिजन, निवासी लूणावास खारा के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज को पंचायत राज नियमों का उल्लघंन करते हुए विधिविरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी पेश की है।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत खुडाला व ग्राम पंचायत लूणावास खारा से मूल अभिलेख तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लूणावास खारा ने अपने पत्र क्रमांक 07 दिनांक 27 [illegible] अवगत कराया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरि[illegible] के पक्ष में दिनांक 12.07.1974 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested

जारी पट्टा विलेख, संधारित मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खुडाला ने भी अपने पत्र क्रमांक 11 दिनांक 27.07.2021 से अवगत कराया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरिजन के पक्ष में दिनांक 12.07.1974 को जारी पट्टा विलेख, संधारित मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता दिवाकर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 12.01.2023 को सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि पूर्व में ग्राम पंचायत खुडाला ग्राम पंचायत थी जिससे अलग नई ग्राम पंचायत लूणावास खारा सृजित की गई है। जिस तथाकथित पट्टे की निगरानी पेश की जा रही है उक्त भूमि ग्राम पचांयत लूणावास खारा की सीमा में आती है इसलिए उक्त निगरानी ग्राम पंचायत लूणावास खारा जरिये सरपंच के प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम लूणावास खारा का खसरा नं0 711 गैर मुमकिन ओरण के रूप में दर्ज है। जिसके सरंक्षक के रूप में ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि गांव के सार्वजनिक हितार्थ काम में ली जा रही है। खसरा संख्या 711 की कुछ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 11089 दिनांक 14.5.2002 के जरिये सरकारी विभाग को आवंटन की गई परन्तु अभी कोरोना काल में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हो गए। ग्राम पंचायत द्वारा मना करने पर निगरानीधीन पट्टा दिनांक 12.07.1974 की प्रति बताई जबकि गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि पट्टे का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि निगरानीधीन पट्टा फर्जी है क्योंकि निगरानीधीन पट्टे में न तो मिसल संख्या दर्ज है और न ही पट्टा नम्बर अंकित है। उक्त तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया है। पंचायत निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 [illegible]क्ता ने बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा ग्रा[illegible] प्रक्रिया अपनाकर जारी किया

गया है। अप्रार्थी के पूर्वज को राजस्थान पंचायतीराज एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 आपसी बातचीत से आबादी भूमि का हस्तान्तरण के तहत पट्टा विलेख जारी किया गया। पट्टे से संबंधित मिसल, पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर का संधारण करना ग्राम पंचायत का दायित्व है ना कि पट्टाधारक का। अप्रार्थीगण का उक्त विवादित भूखण्ड पर कई पीढीयों से कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने द्वेष भावना से पंचायत निगरानी पेश की है, जो निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। तत्कालीन ग्राम पंचायत खुडाला के ग्राम विकास अधिकारी व वर्तमान ग्राम पंचायत लूणावास खारा के ग्राम विकास अधिकारी ने पत्रों के माध्यम से बतलाया कि अप्रार्थीगण के पूर्वज शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरिजन के पक्ष में दिनांक 12.07.1974 को जारी पट्टा विलेख, संधारित मिसल व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे की प्रतिलिपि का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पट्टा जारी करते समय संधारित मिसल का नम्बर व पट्टा नम्बर भी पट्टे में अंकित नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा खसरा संख्या 711 गैर मुमकिन ओरण की भूमि में जारी किया गया। ग्राम पंचायत को गै0 मु0 ओरण की भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उक्त खसरान् की कुछ भूमि आवंटन आदेश 11089 दिनांक 14.5.2002 के जरिये सरकारी विभाग को आवंटन की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य है। परिणामस्वरूपः निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण के पूर्वज शंकरलाल पुत्र भाणाराम जाति हरिजन के पक्ष में दिनांक 12.07.1974 को जारी पट्टा विलेख को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत लूणावास खारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:27 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर